400

सं० 331 /XXIV(1)/2013-16/2013 टी०सी०

प्रेषक,

एस० राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2014

विषयः **वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में आवश्यकता से न्यून प्राविधानित होने के कारण पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक अर्थ-2/33386/5क(1)18/2013-14 दिनांक 24.2.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय योजनाओं में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण देयकों के लम्बित भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से उक्त धनराशि की व्यवस्था विभागीय योजना में किये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में **आयोजनेत्तर पक्ष** में धनराशि **रू0 6,87,68,000-00 (रूपये छः करोड़ सतासी लाख अड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) वित्त विभाग के उक्त संलग्न शासनादेश दिनांक 30.3.2013 एवं दिनांक 10.6.2013 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(8) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01 प्राथमिक शिक्षा में पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0 09 के कालम–7 के उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग प्रपत्र के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 89(NP)/ XXVII(3)/2013–14 दिनांक 19.3.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

सं0 (i)/XXIV(1)/2013–16/2013 टी0सी0 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
04. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
05. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
06. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
07. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
08. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।